

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प.1(1)साप्र/2/2014 पार्ट

जयपुर, दिनांक 11/5/2015

:- आदेश :-


श्री ओमप्रकाश सैनी, आई.ए.एस., प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग, जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 42/2014 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 30.4.2019 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 10 (1) के प्रावधानान्तर्गत आवंटित राजकीय आवास संख्या 1/42, गांधीनगर के स्थान पर राजकीय आवास संख्या 20-ए, हीराबाग, जयपुर का रिक्त होने की प्रत्याशा में नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है:-

शर्त:-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी- चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आवास के आवंटन/रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात् उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी :-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।


राज्यपाल की आज्ञा से,


(महेन्द्र कुमार खोसला)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. श्री ओमप्रकाश सैनी, आई.ए.एस., प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग, जयपुर।

4. श्रीमती रीता सिंह पत्नी श्री वी.एस. सिंह, आई.ए.एस. निवासी-20-ए, हीराबाग, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
7. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, राज0 जयपुर को आईडी संख्या 234/M/GAD/2015 दिनांक 22.4.2015 के क्रम में।
8. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. अधिशासी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0अभि0वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गाँधीनगर/हीराबाग, जयपुर।
12. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित कराये साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावे।
13. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
14. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
15. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
16. सहायक प्रोग्रामर सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग को- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावे।
17. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गाँधीनगर/हीराबाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावे।
18. प्रबन्धक विश्राम भवन, जयपुर।
19. प्रबन्धक ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर।
20. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
21. रक्षित पत्रावली।


 शासन उपा सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प.1(1)साप्र/2/2014 पार्ट

जयपुर, दिनांक 1/5/2015

—: आदेश :-


श्री नवीन जैन, आई.ए.एस., मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन, जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 13/2011 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 30.4.2035 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानान्तर्गत राजकीय आवास संख्या 1/42, गांधीनगर, जयपुर का नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है:-

शर्त:-

1. आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी- चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आवास के आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात् उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटि को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी :-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।


राज्यपाल की आज्ञा से,


(महेन्द्र कुमार खीची)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. श्री नवीन जैन, आई.ए.एस., मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, जयपुर।

5. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
6. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, राज0 जयपुर को आईडी संख्या 234/M/GAD/2015 दिनांक 22.4.2015 के क्रम में।
7. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0अभि0वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गाँधीनगर जयपुर।
10. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
11. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
12. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
13. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
14. सहायक प्रोग्रामर सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग को- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
15. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गाँधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
16. प्रबन्धक विश्राम भवन, जयपुर।
17. प्रबन्धक ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर।
18. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
19. रक्षित पत्रावली।


 शासन उप सचिव

